जिला दण्डाधिकारी—सह—उपायुक्त, पलामू

(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

Email ID- adss.plm@gmail.com

प्रेस विज्ञप्ति

महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा संचालित स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना में पेंशन भुगतान पाने वाले पेंशनधारियों को यह सूचित किया जाता है कि सरकार से प्राप्त आदेशानुसार माह नवम्बर 2019 से पेंशन पोर्टल में प्रविष्ट पेंशनधारियों को ही भुगतान किया जाना है। पेंशन पोर्टल से भुगतान तभी संभव है जब पेंशनधारी अपना आधार, दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं बैंक खाता की छायाप्रति अपने प्रखण्ड अंतर्गत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी / महिला पर्यवेक्षिका / आंगनबाड़ी सेविका को जमा करें। इस संदर्भ में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों से पेंशनधारियों का आधार एवं बैंक खाता की छायाप्रति प्राप्त हो रहा है परंतु जिले में स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना के जितने पेंशनधारी की संख्या हैं उसके अनुपात में कागजात प्राप्त नहीं हो पा रहा है। यह बात प्रकाश में आ रहा है कि पेंशनधारी अपना आधार, दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं बैंक खाता की छायाप्रति संबंधित कार्यालय में जमा नहीं कर रहे हैं।

अतः स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलम्ब प्रोत्साहन योजना के सभी पेंशनधारियों को यह सूचित किया जाता है कि जो पेंशनधारी अभी भी अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार एवं बैंक खाता की छायाप्रति बाल विकास परियोजना कार्यालय / महिला पर्यवेक्षिका / आंगनबाड़ी सेविका को जमा नहीं किये हैं तो इसे अविलम्ब जमा करें। जमा नहीं किये गये पेंशनधारियों का भुगतान स्थगित रहेगा।

16.5.20

सहायक निदेशक,
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पलामू।

16/3/2020

ज्ञापांक 170 / दिनांक 16-03-2020

प्रतिलिपिः— जिला सूचना—विज्ञान पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को NIC के वेबसाईट पर अपलोड करें।

प्रतिलिपिः— जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि स्थानीय एवं राष्ट्रीय समाचार पत्रों में इस प्रेस विज्ञप्ति को प्रकाशित करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। साथ ही सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के वेबसाईट www.prdjharkhand.in पर भी अपलोड कराने की व्यवस्था करेंगे।

प्रतिलिपिः— सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पलामू एवं अंचल अधिकारी, सदर मेदिनीनगर / चैनपुर / विश्रामपुर / छत्तरपुर / हरिहरगंज / हुसैनाबाद, पलामू तथा सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पलामू जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आपके क्षेत्रान्तर्गत इस सूचना का प्रचार—प्रसार करेंगे तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं पंचायत भवन में चस्पा करेंगे।

प्रतिलिपिः— जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— उपायुक्त, पलामू को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

16.3.20

सहायक निदेशक,
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पलामू।

16/3/2020